तक है जो दिनांक 06.05.1992 ई0 को , जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में निबंधित हुआ है। नामान्तरण वाद संख्या 154 वर्ष 1993–94 के आधार पर [illegible] 1090/A पर पड़ता है तथा कम्प्युटरीकृत पंजी II के भाग वर्तमान 10 पृष्ठ सं0 151पर गायत्री देवी का नाम दर्ज है।

यह कि लेख्यकारी के पत्नी गायत्री देवी को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेख्यकारी के पत्नी गायत्री देवी निःसंतान स्वर्गवास कर गइ। इस लिए गायत्री देवी द्वारा छोड़ी गयी गई चल–अचल सम्पति का पूर्णरुपेण उतराधिकारी उनके श्री पति राजेन्द्र पाण्डेय हुये। उक्त भूमि पर लेख्यकारी पूर्णरूप से दखल–कब्जा म चल आ रह हैं। जिस पर बिक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल–कब्जा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का ऋणभार, अथवा पारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति हकियत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

चुंकि लेख्यकारी को अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका प्रबन्ध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नही हुआ है। अतएव इस संबंध में बिक्रेता परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और उक्त सम्पति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। [illegible] कई सम्भावित खरीददार आए और सभों ने इसका अलग–अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भली–भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किए तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किए। बिक्रेता भी इस मूल्यांकन के प्रत्येक बिन्दु को उचित